अध्याय III
सामान्य छूट अधिसूचनाएं

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत सरकार को किसी विशिष्ट प्रकार के माल को उस पर उदग्राह्य सम्पूर्ण सीमा शुल्क या उसके किसी भाग से या तो पूर्णतया या ऐसी शर्तों, जैसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जांए, के अध्यधीन छूट देने की शक्ति है। छूटों की गलत अनुमति के कारण कुल ₹ 4.06 करोड़ के शुल्क के अनुदग्रहण/कम उदग्रहण के कुछ निदर्शी मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ये आपत्तियां चार ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित की गई थीं।

3.1 जूट थैले

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 30/2004 केउशु दिनांक 9 जुलाई 2004 के अनुसार कपड़ा तथा कपड़े की वस्तुएं (अध्याय 50 से 63) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं बशर्ते प्रयोज्य सामग्री पर प्रदत्त शुल्क का सेनवेट क्रेडिट न लिया गया हो। परिपत्र संख्या 37/2001-सीशु दिनांक 18 जून 2001 में प्रावधान किया गया कि आयातित माल प्रतिकारी शुल्क (उत्पाद शुल्क के बराबर) के भाग की छूट के लाभ का पात्र नहीं होगा क्योंकि उनका उत्पादन शुल्क प्रदत्त प्रयोज्य सामग्री से नहीं किया गया है।

मै0 आरडीबी टेक्सटाइल्स लिमिटेड तथा 17 अन्य ने दिसम्बर 2008 तथा अगस्त 2009 के बीच सीमाशुल्क कमिश्नरी (निवारक) पश्चिम बंगाल के अन्तर्गत पेट्रापोल भू सीमाशुल्क केन्द्र के माध्यम से "जूट थैलों" के 176 परेषणों का आयात किया था। विभाग ने उपर्युक्त अधिसूचना का लाभ दिया और प्रतिकारी शुल्क के उद्ग्रहण के बिना माल की निकासी अनुमत की। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 3.01 करोड़ के शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अक्तूबर 2009) तब विभाग ने बताया (मार्च 2010) कि सीवीडी छूट पश्चिम बंगाल (निवारक) तथा पटना कमिश्नरियों, जहां जूट उत्पादों पर सीवीडी माफ थी क्योंकि भारतीय विनिर्माताओं ने अधिसूचना सं. 30/2004- केउशु के अनुसार ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क का भुगतान नहीं किया, में अपनाई जा रही प्रथा सुनिश्चित करने के बाद बोर्ड के स्पष्टीकरण दिनांक 20 जनवरी 2006 (फा सं. 552/16/2005-एलसी) के अनुसार दी गई थी।

हमारे विचार में आयातित माल को छूट अनुमत करने के द्वारा गलत प्रथा अपनाई जा रही थी जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 30/2004- केउशु में यथा अपेक्षित शुल्क प्रदत्त प्रयोज्य सामग्री से विनिर्मित किए जाने की शर्त को पूरा नहीं करती थी।

हमने मंत्रालय को मामला सूचित किया (अक्तूबर 2010), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

सिफारिश

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार मामले की जांच करे और "बशर्ते शुल्क प्रदत्त प्रयोज्य सामग्री के लिए सेनवेट क्रेडिट नहीं लिया गया है" के दृष्टिगत प्रतिकारी शुल्क की छूट की स्वीकार्यता पर सही स्थिति स्पष्ट करे।

3.2 नेकटाई तथा अन्य विविध मदें

अधिसूचना सं. 19/06 सीशु दिनांक 1 मार्च 2006 के अनुसार अधिसूचना सं. 20/06 सीशु दिनांक 1 मार्च 2006 के अधीन निर्दिष्ट माल को छोड़कर भारत में आयातित सभी माल पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3(5) के अन्तर्गत यथामूल्य 4 प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त सीमाशुल्क लगाया गया था।

मै0 कृष इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड तथा 27 अन्य आयातकों ने ₹ 12.70 करोड़ के कुल निर्धार्य मूल्य दर आईसीडी, तुगलकाबाद दिल्ली के माध्यम से "नेकटाई" तथा अन्य विविध मदों का आयात किया (अक्तूबर 2006 से जुलाई 2008 के बीच)। हमने पाया कि विभाग ने अधिसूचना 20/06 के क्रम सं. 50 के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट माल को उपलब्ध लाभ देने के द्वारा 4 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण के बिना इन परेषणों की निकासी की। तथापि ये माल 1957 के उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 63.92 लाख के अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

जब हमने मामला मंत्रालय को सूचित किया (अक्तूबर 2010) तब उन्होंने ब्याज सहित ₹ 17.05 लाख की वसूली सूचित की। शेष राशि की वसूली के विवरण प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2010)।

3.3 सिल्क यार्न तथा सिल्क के बुने कपड़े

सिल्क यार्न (रद्दी सिल्क से काते गए यार्न को छोड़कर) तथा सिल्क या सिल्क रद्दी के बुने कपड़े सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) क्रमशः 5004 तथा 5007 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

मै0 एन्टरप्राइज इंरनेशनल लिमिटेड ने चेन्नई (समुद्री) कमिश्नरी के माध्यम से "सिल्क कपड़े" तथा "फेंके गए यार्न" के 13 परेषणों का आयात किया (जुलाई से दिसम्बर 2009)। माल क्रमशः सीटीएच 50072090 तथा 50040090 के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे और अधिसूचना सं. 4/2006- केउशु दिनांक 1 मार्च 2006 (क्रम सं. 3) तथा 6/2006- केउशु दिनांक 1 मार्च 2006 (क्रम सं. 1 एवं 8) के अन्तर्गत सीवीडी के उद्ग्रहण से मुक्त किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि आयातित माल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचनाओं में से किसी के अन्तर्गत नहीं आते थे। छूट की गलत मंजूरी के परिणामस्वरूप ₹ 28.16 लाख का कम उद्ग्रहण हुआ।

यह विभाग को सूचित (नवम्बर 2009, जनवरी 2010 तथा फरवरी 2010) किया गया था, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2010)।

हमने मामला मंत्रालय को सूचित किया (अक्तूबर 2010) उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2010)।

3.4 निस्तारणीय मेरूदण्डीय सुईयां

अधिसूचना संख्या 6/2006- केउशु दिनांक 1 मार्च 2006 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 21/2002-सीशु (क्रम सं-370) दिनांक 1 मार्च 2002 के अनुसार "विकलांगो के लिए सहायक साधनों, स्वास्थ्य लाभ साधनों तथा अन्य माल " के रूप में अभिप्रेत "मेरूदण्डीय उपकरण " (क्रम संख्या 68) सहित विशिष्ट माल का आयात शुल्क से मुक्त है।

मै0 हैल्थकेयर एसोसिएटस प्राइ0 लिमिटेड ने कोलकाता (पत्तन) कमिश्नरी के माध्यम से "स्पाइनोकेम निस्तारणीय मेरूदण्डीय सुई " के दो परेषणों का आयात किया (जुलाई 2006/जनवरी 2007)। विभाग ने उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत लाभ देते हुए शुल्क की "शून्य " दर पर माल की निकासी अनुमत की। हमने देखा कि माल स्पाइनल अनेस्थीसिया तथा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड़ संग्रहण के भेदन को सुगम बनाने के लिए सामान्य सर्जीकल उपकरणों की प्रकृति के थे। वे अपंग/विकलांग द्वारा "सहायक साधन/स्वास्थ्य लाभ सहायता " के रूप में उपयोग के लिए एकमात्र रूप से बने मेरूदण्डीय उपकरण नहीं थे। इसलिए छूट अनियमित थी। इस प्रकार छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 13.28 लाख के शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2007) तब विभाग ने इस आधार पर शुल्क छूट देने को उचित ठहराया (फरवरी 2008) कि ऐसे मामलों में ऐसे माल के निर्यातकों ने इस आशय का प्रख्यात अस्पतालों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे कि आयातित सुईयां आपरेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त "मेरूदण्डीय उपकरण थे।

तर्क स्वीकार्य नहीं था। जबकि कथित सुईयां "आपरेशनों के लिए प्रयुक्त मेरूदण्डीय उपकरणों " के रूप में प्रमाणित की गई थीं इसलिए वे विकलांगों की सहायता के लिए अभिप्रेत के रूप में प्रमाणित नहीं थीं जैसाकि अधिसूचना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपेक्षित था।

हमने मामला मंत्रालय को सूचित किया (अक्तूबर 2010), उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2010)।